अनुसूची 14 – फारम संख्या 562

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.-12 of 2018

Dist.:- Patna

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Kailash Das - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner : Amrendra Kumar Pathak, Advocate.

For the OP :

O R D E R

17.07.2018

यह सेवा अपील मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के आदेश सं0–स्था0–1–01/2015–37/रा0 दिनांक– 02.03.2017 सपठित ज्ञापांक–स्था0–1–01/2015–176/रा0 दिनांक– 02.03.2017 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राजभाषा पदाधिकारी उपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उन्हें दिया गया दंड अत्याधिक है।

श्री कैलाश दास, वरीय राजभाषा सहायक के विरुद्ध दिनांक– 14.01.2015 को दैनिक हिन्दुस्तान, पटना में प्रकाशित परीक्षा देने वाले कर्मियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसा वसूलने के आरोपों में विभागीय का0आ0सं0–78/रा0 सपठित ज्ञाप संख्या– 538, दिनांक– 25.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी, जिसके संचालन पदाधिकारी डॉ0 राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी डॉ0 मु0 शाहिद जमील खाँ, राजभाषा पदाधिकारी (उर्दू) को नियुक्त किया गया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

संचालन पदाधिकारी द्वारा विधिसम्मत् तरीके से विभागीय कार्यवाही आरंभ करते हुए श्री दास को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। सुनवाई के क्रम में आरोपी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं समर्पित लिखित अभिकथन के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ की आरोपी के बैंक खाता सं0– 10839366264 एस. बी.आई., सिंचाई भवन शाखा, पटना में विगत कई वर्षो से अवैध राशि वसूल कर डाली जाती रही है। तीन वर्षो की विवरणी के जाँच के क्रम में पाया गया कि उनके वेतन आदि के अतिरिक्त प्रपत्र–'क' में दर्ज जिलों के अलावा अन्य जिलों/स्थानों से भी अवैध राशि की उगाही की गयी। श्री दास द्वारा समर्पित टी.डी. एस. एवं सम्पत्ति के विवरणी के साथ उक्त बैंक खाता के मिलान में भिन्नता पायी गयी।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक– 30.11.2016 को प्राप्त हुआ, जिसमें लगाए गए सभी पाँचों आरोप प्रमाणित पाये गये। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 18(3) के अधीन ज्ञापांक– 884 दिनांक–07.12.2016 द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति देते हुए प्रथम कारण पृच्छा किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन और श्री दास द्वारा दिनांक– 21.12.2016 को समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री दास का अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। पुनः विभागीय ज्ञाप संख्या–61/रा0 दिनांक– 23.01.2017 द्वारा उनसे द्वितीय स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री दास अपने बचाव में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर सके।

इस प्रकार द्वितीय स्पष्टीकरण भी स्वीकार योग्य नहीं पाया गया और निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं:–

1– श्री दास द्वारा परीक्षार्थी से परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसा वसूल करने का आरोप प्रमाणित; घटना स्थल गैरेज नं0–20 में अवैध वसूली करने का आरोप प्रमाणित;

2– जाँच प्रतिवेदन में श्री दास के स्टेट बैंक खाता संख्या–10839366264 में राज्य के विभिन्न स्थानों से नजायज ढ़ंग से खाता में अनेक व्यक्तियों द्वारा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

पैसा डलवाये जाने का आरोप भी प्रमाणित;

3– बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1979 की उप धारा–3 (i)(ii)(iii) और 3(2) एवं 3(3) के अधीन भ्रष्टाचार में संलिप्तता, पद का दुरुपयोग तथा सरकारी पद पर रहकर अनैतिक आचरण अपनाए जाने का आरोप प्रमाणित;

4– छुट्टी के दिनों में कार्यालय परिसर में उपस्थित होकर नजायज ढ़ंग से पैसा वसूलने का आरोप प्रमाणित;

5– श्री दास प्राय अपनी सीट से अनुपस्थित पाये जाते थे जिसके कारण स्पष्टीकरण पूछा गया और एक दिन का वेतन भी रोका गया। अनुशासनहीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता का आरोप प्रमाणित।

उपर्युक्त सभी आरोप प्रमातिण पाये गये हैं, जो अत्यन्त गंभीर एवं संगीन प्रकृति के है।

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ की अपीलार्थी के विरुद्ध अज्ञात श्रोत से अवैध राशि प्राप्त करने का आरोप प्रमाणित है।

अतः अपीलीय प्राधिकार के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है। अपील खारिज किया जाता है। साथ ही विभाग यदि चाहे तो इनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के संबंध में विचार कर सकती है।

लेखापित एवं संशोधित

17/7/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

17/7/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।